कार्यालय– नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

संख्या– 288/E.S.C.का0/न0नि0क0व0मथुरा/2023-24 दिनांक– 02.01.2024

ई–निविदा

नगर निगम मथुरा–वृन्दावन सीमान्तर्गत शहर के प्रमुख्य मार्गों/चाराहों/मंदिरों/वार्डों की सफाई एवं शहर में मझौले नाले/नालियों की आवश्यकतानुसार तत्काल सफाई हेतु क्यू.आर.टी. (किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्य करने हेतु) की स्थापना हेतु ठेकेदारों/फर्मों से ई–टैंडरिंग के माध्यम से निविदा आंमत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र उ0प्र0 सरकार की ई–पिक्योरमेंट वेबसाईट **http://etender.up.nic.in** से डाउनलोड कर देखी जा सकती है। निविदा खुलने की दिनांक को अवकाश की स्थिति में निविदा उपरोक्त निर्धारित समय तक अगले कार्य दिवस में प्राप्त/खोली जायेंगी। ई–निविदा से संम्बधित धरोहर धनराशि एंव निविदा शुल्क नगर निगम मथुरा वृन्दावन के पक्ष में नगर निगम की बेबसाईट **https://nnmvtender.in/** के माध्यम से जमा होगी।

क्र0. सं0.	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य
1.	प्रमुख मार्गों/चाराहों/मंदिरों/वार्डों की सफाई एवं शहर में मझौले नाले/नालियों की आवश्यकतानुसार तत्काल सफाई हेतु क्यू.आर.टी. (किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्य करने हेतु) की स्थापना	40.00 लाख	5000.00 एवं 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 900.00 =5900.00
S.No.	**Schedule**	**Date**	**Time**
01.	**document Publish date**	**04-01-2024**	**11:00 AM**
02.	**document Sale Start date**	**04-01-2024**	**02:00 PM**
03.	**Bid Submission Start date**	**04-01-2024**	**02:00 PM**
04.	**Bid Submission end date**	**19-01-2024**	**04:00 PM**
05.	**technical Bid Opening date**	**20-01-2024**	**11:00 AM**
06.	**Pre Bid Meeting**	**11-01-2024**	**11:00 AM**

नोटः निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भली–भाँति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नही होगा। निविदा सम्बन्धी नियम/शर्तों का एवं अन्य परिवर्तन/संशोधन की सूचना ई–टेण्डर की बेबसाईट **http://etender.up.nic.in** पर ही दी जायेंगी।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपिः–

1–नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2–यूनिकॉम एड एजेन्सी को इस आशय के साथ कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की 02–02 प्रतियां सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3–सम्पादक, दैनिक राजपथ को आशय से कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण में प्रकाशित कराते हुये प्रकाशित अंक की 02–02 प्रतियां सहित बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

2/1/24

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

कार्य का नाम—प्रमुख मार्गों/चाराहों/मंदिरों/वार्डों की सफाई एवं शहर में मझौले नाले/नालियों की आवश्यकतानुसार तत्काल सफाई हेतु क्यू.आर.टी. (किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्य करने हेतु) की स्थापना।

नियम व शर्तें

1. बेवसाइड से डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र एंव विभाग द्वारा निर्गत किये गये निविदा प्रपत्र में यदि कोई अन्तर है तो विभाग द्वारा निर्गत किये गये प्रपत्र ही मान्य होगें।
2. सफाई कार्य विशिष्ट प्रकृति का है अतः इस कार्य की निविदा इस प्रकार के कार्य करने के अनुभवी फर्म, जिसने इस प्रकृति का कार्य किया हो, जिसे कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।
3. निविदादाता को निविदा के साथ ई0एस0आई0 प्रमाण पत्र, भविष्यनिधि प्रमाणपत्र एंव श्रम आयुक्त कार्यालय (श्रम संविदा) प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा पिछले तीन वर्षों का भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये भविष्य निधि का लेखा जोखा संलग्न करना होगा।
4. निविदादाता को कम्पनी/फर्म/प्रोपराईटरशीप का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाता को पिछले 03 वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड संलग्न करना होगा।
6. निविदादाता द्वारा अधिकृत सी0ए0 द्वारा प्रमाणित पिछले 03 वर्ष का Average Annual Turn Over एवं Net Worth से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
7. निविदादाता को कम से कम 02 करोड़ Bank Solvency प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
8. निविदादाता को 10 रूपये स्टैम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि कम्पनी/फर्म/प्रोपराईटरशीप किसी भी सरकारी विभाग में ब्लैक लिस्टेड नहीं है।
9. निविदादाता को इस क्षेत्र में सरकारी विभाग, अर्द्धसरकारी विभाग, एंव स्थानीय निकाय में किये गये कार्य के 50–50 लाख के दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।
10. शासनादेश की शर्तो के अनुसार एजेन्सी को प्रत्येक कर्मचारी को परिचय पत्र समस्त जानकारियों को सम्मलित करते हुये उपलब्ध कराना होगा।
11. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निविदादाता द्वारा निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही करनी होगीः—

    i. निविदादाता को निम्नवत् तालिकानुसार कर्मचारी उपलब्ध कराने होंगे

क्र0सं0	कर्मचारी का पद	संख्या
01	मैनेजर	01
02	नाला सफाई सुपरवाईजर	11
03	सफाई सुपरवाईजर	11
04	नाला सफाई कर्मचारी	154
05	सफाई कर्मचारी	154
	कुल योग	331

उपरोक्त तालिकानुसार क्यू0आर0टी0 टीम (क्वीक रेसपोन्स टीम) का गठन किया जायेगा, जिसमें मुख्यतः सफाई एवं नाला सफाई के कार्य होंगे। सफाई के कार्य हेतु 14 कर्मचारियों की 11 टीम बनायी जायेगी, प्रत्येक टीम पर 01 सुपरवाईजर तैनात होगा। इसी प्रकार नाला सफाई के कार्य हेतु 14 कर्मचारियों की 11 टीम बनायी जायेगी, प्रत्येक टीम पर 01 सुपरवाईजर तैनात होगा। उक्त सभी 22 टीमों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु 01 मैनेजर की तैनाती की जायेगी।

उक्त टीमों के कार्यों में नगर आयुक्त महोदय अथवा नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

ii. शासनादेश की शर्तो के अनुसार निविदादाता को प्रत्येक कर्मचारियों का बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा एवं कर्मचारियों को श्रम विभाग/निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश के आधार पर निविदादाता को बैंक खाते के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान करना अनिवार्य होगा।

iii. निविदादाता को श्रमिकों की **Scientific attendance** हेतु ऐप/पोर्टल पर करनी होगी। साथ ही पोर्टल तैयार कर **Dashboard** नगर निगम को उपलब्ध करना होगा, जिससे श्रमिकों की प्रभावी मोनीटरिंग की जा सके। नगर निगम द्वारा **Scientific attendance** सिस्टम के आधार पर ही पेमेंट किया जायेगा।

iv. शासनादेश की शर्तो के अनुसार निविदादाता को प्रत्येक कर्मचारियों को ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 खाता खुलवाना एवं ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 का भुगतान निविदादाता को सम्बन्धित कर्मचारी के खाते में करना है। उक्त सत्यापित प्रमाण पत्र निविदादाता को प्रतिमाह कार्यालय में देना होगा उक्त के उपरान्त ही आगामी माह का भुगतान किया जायेगा।

v. नाला एवं सफाई कार्य हेतु नगर आयुक्त महोदय/नोडल अधिकारी/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जो भी समय निर्धारित किया जायेगा, वह निविदादाता को मान्य कराना अनिवार्य होगा।

vi. सफाई कार्य में प्रमुख मार्गो/चौराहों/नाले/नालियों एंव आवश्यकतानुसार गैंग एंव सड़क एंव पटरी, नाले–नालियों एंव रात्रिकालीन सफाई प्रतिदिन करनी होगी। अगर श्रमिक लगातार 03 दिन अपने कार्य पर नहीं आता है तो उसके स्थान पर अन्य श्रमिक की तैनाती तत्काल करनी होगी तथा श्रमिक द्वारा अनुपस्थित दिवसों को छोड़कर किये गये सफाई कार्य का भुगतान किया जायेगा। एंव कार्यस्थल का निर्धारण समय समय पर संम्बन्धित नगर स्वास्थ्य अधिकारी/क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक द्वारा किया जायेगा।

vii. निविदादाता को सफाई कार्य हेतु सफाई से संम्बन्धित जरूरी उपकरण–झाडू, फावडा, परात, इत्यादि श्रमिकों को सफल निविदादाता द्वारा ही उपलब्ध कराने होगें, तथा श्रमिकों की सुरक्षा हेतु पी.पी.आई. किट एंव ड्रैस (वर्दी) मास्क, हैण्ड ग्लब्स , जूता इत्यादि भी उपलब्ध कराने होगें, तथा **निविदादाता द्वारा समस्त श्रमिकों का प्रति वर्ष में 02 बार कैम्प लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण एंव स्वास्थ्य बीमा कराना होगा।**

12. निविदादाता को रू0–40,00,000 (चालीस लाख) की धरोहर धनराशि बेबसाईट **https://nnmvtender.in/** पर जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा करने का स्क्रीन शॉर्ट संलग्न करना होगा।

13. निविदा सम्बन्धी कार्यवाही हेतु नगर आयुक्त महोदय के पत्र सं0 1114/एसटी–2/2023–24 दिनांक 01.01.2024 के द्वारा 05 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उक्त समिति के समक्ष निविदादाता द्वारा प्रेजेन्टेशन दी जायेगी, जिसके क्रम में समिति द्वारा प्रेजेन्टेशन देखने के उपरान्त अंक दिये जायेंगे। निविदादाता को कम से कम 05 अंक प्राप्त करने होंगे। समिति द्वारा अधिकतम 10 अंक दिये जायेंगे। निविदा शर्तों में जो भी प्रपत्र एवं अभिलेख मांगे गये हैं, निविदादाता द्वारा सभी प्रपत्र एवं अभिलेख अपलोड करने के साथ प्रेजेन्टेशन में कम से कम 05 अंक प्राप्त करने होंगे। इसके उपरान्त ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

14. निविदा स्वीकृति के उपरान्त इंटीमेशन/कार्यादेश निर्गत होने पर संस्था/एजेन्सी को स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा तथा स्वीकृत निविदा धनराशि का 10 प्रतिशत परफोरमेन्स गारन्टी के रूप में नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा वृन्दावन के नाम बन्धक करानी होगी, जो कि निविदा की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त वापिस की जायेगी। अतः कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी, साथ ही अनुबन्ध के समय विभाग द्वारा शासनादेश के आधार पर दी गयी समस्त शर्तो को स्वीकार करना अनिवार्य होगा।

15. निविदा की अवधि 02 वर्ष के लिये वैध होगी तथा कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर आपसी सहमति से पुनः आगामी 01 वर्ष के लिये विस्तारित की जा सकती है तथा मानव संसाधन के रूप में किसी भी श्रमिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।

16. निविदादाता का कोई भी श्रमिक नगर निगम का कर्मचारी नही माना जायेगा, तथा किसी भी दशा में अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना/आकस्मिक मृत्यु होने पर नगर निगम से कोई संम्बध नही होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

17. निविदादाता एंव उसके अधीन सफाई से संम्बन्धित श्रमिकों के किसी वाद, विवाद से नगर निगम का कोई संम्बन्ध नही होगा। अतः सफाई कार्य का निरीक्षण समय–समय पर संम्बन्धित वार्ड के जोनल सेनेटरी ऑफीसर, मुख्य स्वच्छता

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक ,प्रभारी स्वास्थ्य ,मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी तथा नगर आयुक्त महोदय द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

18. सफाई कार्य हेतु प्रयोग किये जाने वाले कीटनाशक एंव अन्य रसायन नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेगें, तथा अतिविशिष्ट एंव विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन एंव नगर भ्रमण के दौरान सफाई संम्बन्धित जो भी निर्देश दिये जायेगें। उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, जिसके लिये अतिरिक्त देय नही होगा।

19. सफाई कार्य निर्धारित तिथि एवं निर्धारित संख्या में सफाई मजदूरों के साथ समय पर कार्य न प्रारम्भ कर पाने अथवा कार्य असंन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता के ऊपर प्रथम बार में रू0–5000/– धनराशि का जुर्माना एवं पुनः लापरवाही वरतने पर नगर निगम प्रशासन द्वारा निर्धारित जुर्माना किया जायेगा। काम संतोषजनक न पाये जाने पर नगर निगम द्वारा कई नोटिस जारी करने के उपरान्त भी यदि कार्य में सुधार नहीं होता है तो ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी, यह अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा।

20. निविदादाता के द्वारा शर्तों के अनुसार निर्धारित किये गये समस्त श्रमिक प्रतिदिन सफाई कार्य हेतु उपलब्ध कराने होगें। यदि श्रमिक कम पाये जाते है तो निविदादाता के खिलाफ उसके प्रोफिट मॉर्जन (मुनाफे का अन्तर) में से पेनल्टी/जुर्माना के रूप में आरोपित की जायेगी।

21. निविदादाता द्वारा मजदूरों की मासिक मजदूरी का भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार जारी निर्देश के अनुसार करना होगा। भविष्य में यदि मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत मासिक मजदूरी में बढोतरी होती है तो नगर निगम द्वारा बढी हुयी मजदूरी के अनुसार ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को बढी हुयी मजदूरी के अनुसार भुगतान करना होगा।

22. किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में नगर आयुक्त महोदय का निर्णय अन्तिम एंव मान्य होगा।

23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मथुरा होगा।

24. निविदादाता को निम्नतालिकानुसार दरें उपलब्ध करानी होगीः–

क्र0सं0	कार्य का नाम	दरें (कर रहित)	समस्त कर (यदि देय हों)	कुल दरें
01	**प्रमुख मार्गों/चाराहों/मंदिरों/वार्डों की सफाई एवं शहर में मझौले नाले/नालियों की आवश्यकतानुसार तत्काल सफाई हेतु क्यू.आर.टी. (किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्य करने हेतु) की स्थापना**			

i. निविदादाता अपनी दरें समस्त कर सहित उपलब्ध करानी होगी।

नोटः निविदा के साथ संलग्न प्रपत्रों एवं शर्तों को भली–भाँति पढ़ व समझ लें। निविदा के पश्चात् किसी भी आपत्ति पर विचार किया जाना संभव नही होगा। निविदा सम्बन्धी नियम/शर्तों का एवं अन्य परिवर्तन/संशोधन की सूचना नगर निगम मथुरा वृन्दावन के स्वास्थ्य विभाग से ली जा सकती है।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन मथुरा